न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 20 / 2020 अपील / प्रतापगढ़ (GCMS 2020/00020)
पंजीयन दिनांक– 14.02.2020
निर्णय दिनांक– 28.10.2020

श्री अमृतराम पिता मांगीलाल शर्मा निवासी अमलावद, तहसील व जिला प्रतापगढ़ (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत अमलावद, जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत अमलावद तहसील व जिला प्रतापगढ़ (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

..................रेस्पोडेन्ट्स

अधिवक्ता :
श्री प्रकाश चन्द्र पालीवाल : अधिवक्ता अपीलान्ट
राजकीय अभिभाषक : रेस्पोडेंट संख्या 2

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956 विरूद्ध जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के आदेश क्रमांकः राजस्व / भू.आ. / 2017 / 1244–56 दिनांक 28.06.2017

<u>निर्णय</u>

दिनांक– 28.10.2020

अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के आदेश क्रमांकः राजस्व / भू.आ. / 2017 / 1244–56 दिनांक 28.06.2017 के विरूद्ध दिनांक

11.07.2017 को न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–96 जा.दी. के साथ पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में दिनांक 15.01.2020 को दर्ज की गई। जिला प्रतापगढ़ से संबंधित क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को होने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानान्तरित होकर दिनांक 14.02.2020 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य बकौल अपीलांट इस प्रकार है कि विवादित आराजी नम्बर 568 रकबा 0.85 हैक्टेयर भूमि में से 0.03 हैक्टेयर भूमि के साबिक आराजी नम्बर 215 रकबा 10 बीघा भूमि बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड रही जिस पर अपीलांट के पिता मांगीलाल का नियमित रूप से अतिक्रमण चला आ रहा था व मांगीलाल की मृत्यु के पश्चात् अपीलांट उक्त आराजीयात पर काबिज होकर कई अर्से से जुर्माना राशि अदा करते हुए काबिज होकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा था, जिसे उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा मनरेगा योजनांतर्गत खाद्य भण्डारण गृह के निमार्ण हेतु भूमि आवंटन प्रस्ताव/अभिशंषा एवं तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 7 के प्रावधान अनुसार किस्म भूमि चरनोट को खारिज कर उक्त भूमि आराजी नम्बर 568 रकबा 0.85 हैक्टेयर में से 0.03 हैक्टेयर को जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ द्वारा आदेश क्रमांक राजस्व/भू.आ./2017/1244–56 दिनांक 28.06.2017 से खाद्य भण्डार गृह निर्माण हेतु आवंटित किये जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील अपीलांट स्वीकार किया जाने का निवेदन किया है।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश चन्द्र पालीवाल उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 बावजुद सूचना के अनुपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 2

की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 22.10.2020 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ ने मनरेगा योजनांतर्गत खाद्य भण्डारण गृह हेतु ग्राम पंचायत, अमलावद की अनुशंषा अनुसार राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम 1955) के नियम 7 के प्रावधान अनुसार किस्म भूमि चरनोट को खारिज कर आराजी नम्बर 568 रकबा 0.85 हैक्टेयर भूमि में से 0.03 हैक्टेयर भूमि को खाद्य भण्डार गृह निर्माण हेतु आवंटित किये जाने का जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। विवादित आराजीयात के साबिक आराजी नम्बर 215 रकबा 10 बीघा भूमि बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड रही जिस पर अपीलांट के पिता मांगीलाल का नियमित रूप से अतिक्रमण चला आ रहा था व मांगीलाल की मृत्यु के पश्चात अपीलांट उक्त आराजीयात पर काबिज होकर कई अर्से से जुर्माना राशि अदा करते हुए काबिज होकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त आराजीयात के नियमित योग्य भूमि है फिर भी अपीलांट को बेदखल किये बगैर गलत रूप से रेस्पोडेंट संख्या 1 को खाद्य भण्डारण हेतु आवंटित कर दी गयी जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त आराजीयात के संबंध में रेस्पोडेंट संख्या 1 ने पूर्व में प्रस्ताव लिया जाकर चरागाह से खारिज कर बिलानाम दर्ज करने व उसके पश्चात अपीलांट के नाम नियमन किये जाने की अनुशंषा हेतु प्रस्ताव पारित किय गया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर जांच किये बगैर उक्त आराजीयात रेस्पोडेंट संख्या 1 को आवंटित कर दी जिससे अपीलांट के हित प्रभावित होते है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार करने एवं जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के आदेश दिनांक 28.06.2017 को निरस्त कराने बाबत निवेदन किया गया।

रेस्पोडेंट संख्या–2 राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय/आदेश दिनांक 28.06.2017 को सही बताते हुए अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया।

हमने अपीलांट अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में अपील अंदर मयाद पेश हुई है। प्रकरण में अब हम सर्वप्रथम अपीलाण्ट के दफा 96 जाब्ता दीवानी के आवेदन पर विचार करना उचित समझते हैं। अपीलाण्ट ने दफा 96 जाब्ता दीवानी के आवेदन के संबंध में यह निवेदन किया है कि रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 ने यानि ग्राम पंचायत ने पूर्व में चारागाह को खारिज कर बिलानाम दर्ज करने व उसके पश्चात् अपीलाण्ट के नाम नियमन किये जाने हेतु अनुशंषा हेतु प्रस्ताव पारित कर दिया जिससे अपीलाण्ट व्यथित पक्षकार है। अपीलाण्ट द्वारा दौराने बहस एक आवेदन पेश कर उप तहसीलदार देवगढ़ के निर्णय दिनांक 10.10.2017 की प्रति भी पेश की है जिसमें उसके विरूद्ध उक्त आराजी नम्बर 568 रकबा 0.50 हैक्टेयर से बेदखली का आदेश पारित किया गया है। ग्राम पंचायत का प्रस्ताव संख्या 13 दिनांक 13.01.84 जिसमें इस विवादित भूमि को चारागाह से बिलानाम किये जाने का प्रस्ताव तथा मिलान क्षेत्रफल की प्रतिलिपियां पेश की है। हालांकि ये सभी दस्तावेजात फोटो प्रति है, फिर भी न्यायहित में सिर्फ सन्दर्भ के लिए इन्हें रेकर्ड पर रखा जाता है।

अपीलाण्ट द्वारा अपील के साथ भी इसी प्रकार के पूर्व ग्राम पंचायत के प्रस्ताव व उसके विरूद्ध हुई अतिक्रमण की कार्यवाहियों के सन्दर्भ में दस्तावेजात पेश किये हैं।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि वर्तमान आराजी नम्बर 568 रकबा 0.85 हैक्टेयर ग्राम अमलावद की किस्म चारागाह है तथा अर्सेदरास से उक्त भूमि चारागाह रही है। इसमें से सिर्फ 0.03 हैक्टेयर भूमि को मनरेगा योजनान्तर्गत खाद्यान्न भण्डारण गृह के निर्माण हेतु जिला कलक्टर द्वारा अपने आदेश दिनांक 28.06.2017 से आवंटित किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा दौराने बहस पेश किये गये दस्तावेजात व उप तहसीलदार के निर्णय दिनांक 10.10.2017 की प्रति के अनुसार भी उसका कब्जा आराजी नम्बर 568 के 0.50 हैक्टेयर पर है एवं उससे भी बेदखली का आदेश उप तहसीलदार देवगढ़ द्वारा पारित किया जा चुका है। वर्तमान में यह स्पष्ट नहीं होता कि जिला कलक्टर द्वारा किये गये अपीलाधीन आवंटन की 0.03 हेक्टेयर भूमि पर ही अपीलाण्ट का कब्जा हो, ऐसी कोई साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं है। आराजी का कुल रकबा 0.85

हैक्टेयर है तथा अपीलाण्ट का बेदखली आदेशशुदा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण 0.50 हैक्टेयर पर रहा है अर्थात् अपीलाण्ट प्रथम दृष्टया 0.85 हैक्टेयर आराजी नम्बर 568 के 0.50 हैक्टेयर पर अतिक्रमी रहा है एवं उक्त 0.50 हैक्टेयर अतिक्रमित भूमि में ही अपीलाधीन आवंटित भूमि 0.03 हैक्टयरे भूमि रही हो, ऐसी कोई साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं है, अर्थात् अपीलाधीन आवंटन आदेश की भूमि से अपीलाण्ट हितबद्ध, व्यथित एवं आवश्यक पक्षकार हो, ऐसी कोई साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं है। हम यह मानते हैं कि चारागाह भूमि ग्राम के सामुदायिक प्रयोजन से आम जन की पशुपालन आजीविका से संबंधित भूमि होती है एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जगतपालसिंह के प्रकरण में चारागाह भूमि को किसी भी निजी प्रयोजनार्थ आवंटन किया जाना निषेध है। ग्राम पंचायत के पूर्व प्रस्तावों की उपरोक्त प्रयोजन के दृष्टिगत कोई विधिक उपादेयता नहीं है। चारागाह भूमि को मनरेगा के उद्‌देश्य से खाद्यान्न भण्डारण हेतु मात्र 0.03 हैक्टेयर चारागाह भूमि के आवंटन आदेश के सन्दर्भ में हम अपीलाण्ट को उपरोक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर आवश्यक हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार नहीं पाते। अतएव हम उसे अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दिया जाना उचित नहीं मानते एवं तद्‌नुसार अपीलाण्ट का दफा 96 जाब्ता दीवानी का आवेदन खारिज किया जाता है एवं परिणामस्वरूप अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश बहाल रखा जाता है।

(एल.एन.मंत्री)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
उदयपुर